भर्ती समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग, (छ0ग0)

//आवश्यक सूचना//

(दावा आपत्ति के निराकरण)

आकस्मिकता निधि के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्राविण्य सूची के अनुसार अर्ह एवं अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 13.12.2023 को जारी कर दिनांक 15.12.2023 के दोपहर 2:00 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। इस समयावधि में कुल 06 अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है जिसका निराकरण समिति के द्वारा किया गया जो निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति	निराकरण रिमार्क
01.	हेम लाल ध्रुव, पंजीयन क्रमांक 156	नाम त्रुटि में सुधार एवं प्राविण्य सूची में नाम जोड़ने हेतु ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदन के साथ संलग्न रोजगार पंजीयन में स्नातक उत्तीर्ण होना दर्शित है। विज्ञापन के अनुसार आवेदक 12 वीं से अधिक योग्यता रखने के कारण अनर्ह सूची में नाम दर्ज है। अतः आपत्ति सारहीन होने से आवेदन निरस्त किया जाता है । अनर्ह सूची में आवेदक के पिता के नाम में त्रुटि होना दर्शित है जिसे सुधार गया ।
02.	शेखर सांडेकर, पंजीयन क्रमांक 270	आवेदक का नाम अपात्र सूची में उल्लेख है जिसे पात्र सूची में किये जाने हेतु आपत्ति किया है ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे कक्षा 5 वीं में 56.75 प्रतिशत है एवं एससी का कटऑफ 71 प्रतिशत होने है, आवेदक का प्रतिशत कम होने से 20 गुना से अधिक की सूची में नाम दर्ज है । अतः आवेदक की आपत्ति निरस्त किया जाता है ।
03.	गौरव यादव, पंजीयन क्रमांक 475	आकस्मिकता निधि के पात्र सूची में नाम दर्ज किये जाने हेतु ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र तथा कक्षा पांचवी के मार्कशीट का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का पांचवी में बी ग्रेड होना दर्शित है । ओबीसी में 81 प्रतिशत तथा ग्रेड ए कटऑफ है इसीलिए आवेदन का नाम 20 गुना से अधिक की सूची में नाम दर्ज है। अतः आवेदक की आपत्ति निरस्त किया जाता है ।

04.	धनेश गिरी गोस्वामी, पंजीयन क्रमांक 690	आवेदक द्वारा अपने आवेदन में लेख किया है कि उसका 12 वीं पास से ज्यादा योग्यता नहीं है तथा वह पिछड़ा वर्ग से है । अतः उसे पात्र सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सामान्य वर्ग में आवेदन फॉर्म भरा है तथा कक्षा पांचवी में आवेदक का प्रतिशत 80.25 है जबकि अनारक्षित मुक्त का कटऑफ 89.40 है तथा ओबीसी का कटऑफ 81 प्रतिशत व ए ग्रेड है । अभ्यर्थी के पॉचवी में प्रतिशत अनारक्षित मुक्त व अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के कटऑफ से कम अंक होने से वह 20 गुना से अधिक की सूची में नाम दर्ज है। अतः आवेदक की आपत्ति निरस्त किया जाता है ।
05.	अमित कुमार मेश्राम, पंजीयन क्रमांक 1099	पात्र सूची में नाम दर्ज किये जाने हेतु ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है किंतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तथा आवेदक द्वारा अपने दावा आपत्ति आवेदन में लेख किया है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किया है जिससे दर्शित है कि विज्ञापन दिनांक तक आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है । अनारक्षित मुक्त का कटऑफ 89.40 है जबकि आवेदक का पॉचवी में प्रतिशत 71.3 है इसीलिए आवेदक का नाम अनर्ह सूची में दर्ज है । अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।
06.	खुशबू कुमार, पंजीयन क्रमांक 1877	आवेदिका द्वारा अर्ह सूची में अपनी जाति में त्रुटि होने के संबंध में आपत्ति की है ।	आवेदिका के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है किंतु अर्ह सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग में लिपकीय त्रुटिवश दर्ज है । अतः अर्ह सूची में आवेदिका की जाति को सुधारा गया ।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)
दुर्ग